न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 150/2018

-:: प्रार्थीगण ::-

1. मृतक नारायण पुत्र कानाराम जाति-कुमावत निवासी-निम्बाज के वैधिक वारिसान भंवरलाल पुत्र नारायण फौत जिनके विधिक वारिसान
   1/1 कमलाराम पुत्र भंवरलाल
   1/2 रमेशचन्द्र पुत्र भंवरलाल
2. मुलचन्द पुत्र नारायणलाल फौत के वैधिक वारिसान
   2/1 नेमीचन्द पुत्र मूलचन्द
3. मिश्रीलाल पुत्र नारायणलाल फौत जिनके वैधिक वारिसान
   3/1 धर्मीचन्द पुत्र मिश्रीलाल
   3/2 संजय कुमार पुत्र मिश्रीलाल
   3/3 प्रकाश चन्द पुत्र मिश्रीलाल तमाम जातिगण-कुमावत, निवासीगण- निम्बाज तहसील-जैतारण जिला-पाली।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. मृतक हिरालाल पुत्र शिवबक्श फौत जिनके वैधिक वारिसान
   1/1 सोहनलाल पुत्र हिरालाल जाति-गंगवाल निवासी-सुशील भवन निम्बाज, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।
2. अम्बालाल पुत्र लालचन्द जी स्वर्णकार फौत जिसके वैधिक वारिस
   2/1 विजयराज पुत्र अम्बालाल फौत जिसके वैधिक वारिसान
   2/1/1 शरद कुमार पुत्र विजयराज जाति-सोनी निवासी-पीपाड़ तहसील- पीपाड़ जिला-जोधपुर।
3. धर्मीचन्द पुत्र पुखराज जाति-मुथा, निवासी-निम्बाज तहसील-जैतारण, जिला-पाली, राज.।
4. मांगीलाल पुत्र फुलचंद जी थोलिया लाऔलाद फौत जिसके वैधिक वारिसान
   4/1 नेमीचन्द्र जी पुत्र मांगीलाल जी जाति-थोलिया जैन पता मेडिकल स्टोर निमाज, जैतारण
5. मांगीलाल पुत्र केसरीमल जीजाति-बाफना फौत जिसके वैधिक वारिसान
   5/1 रूपचन्द्र पुत्र मांगीलाल जी बाफना जैन निवासी निमाज तहसील-जैतारण।
6. गुल्तानमल पुत्र बस्तीमल जी जाति सैन फौत जिसके वैधिक वारिसान
   6/1 चांदमल सेन पुत्र

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

मुल्तानमल जाति सेन
निवासी–निमाज

7. लाभचन्द पुत्र जसराज जी
जाति–खिवसरा जैन निवासी
निमाज जैतारण।

7/1 सुभाषचन्द पुत्र लाभचन्द जी
जाति खिवसरा जैन
निवासी–निमाज जैतारण।

8. गणपतसिंह पुत्र घीसुलाल जी
जाति–पुरोहित फौत जिसके वेधिक
वारिसान

8/1 नारायणसिंह पुत्र गणपतसिंह
जी जाति पुरोहित
निवासी–निम्बाज तहसील–जैतारण।

9. मुल्तानमल पुत्र अन्नाराम जी
जाति राव फौत जिसके वेधिक
वारिसान

9/1 भुराराम पुत्र मुल्लानमल जी
फौत जिसके वारिसान

9/1/1 कन्हैयालाल पुत्र भुराराम
जी जाति राव निवासी–निम्बाज

10. कानसिंह पुत्र मोतीसिंह जी फौत
जिसके वेधिक वारिसान करणसिंह
पुत्र कानसिंह फौत जिसके वेधिक
वारिस

10/1 अमरजीतसिंह राठोड़
10/2 इन्द्रजीतसिंह राठोड़
10/3 हरजीतसिंह राठौड़

11. मानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति–
राजपुत निवासी–छ्तर सागर
निम्बाज, जैतारण।

12. बंशीधर पुत्र भंवरलाल
जाति–पाठक फौत जिसके वेधिक
वारिसान

12/1 सुनील दतक पुत्र बंशीधर
जाति–पाठक निवासी–निम्बाज
तहसील–जैतारण।

13. रुगजी पुत्र नेनजी जाति–मेघवाल
फौत जिसके विधिक वारिसान

13/1 धाराराम पुत्र रुगजी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

जाति-मेघवाल निवासी-मेघवालों
का बास, निम्बाज तहसील,
जैतारण।

14. घीसुराम पुत्र अपठनीय फौत
जिसके वेधिक वारीस

14/1 भैराराम पुत्र घीसुराम फौत
जिसके वेधिक वारिसान

14/1/1 नीरज पुत्र भेराराम
जाति-कुमावत निवासी-निम्बाज
तहसील-जैतारण।

15. करणसिंह पुत्र नारायणसिंह फौत
जिसके वेधिक वारिस।

15/1 अमरसिंह पुत्र करणसिंह
15/2 संग्रामसिंह पुत्र करणसिंह
15/3 विक्रमसिंह पुत्र करणसिंह

16. मुन्नालाल बालुन्दिया पुत्र बालूराम
जाति-कुमावत निवासी-निम्बाज,
तहसील-जैतारण।

17. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी **तारीख रजूः 13/06/2018**

उपस्थित

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेश जांगिड़, करनीदान चारण, महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 03/03/2020**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-निम्बाज तहसील जैतारण की सरहद में खसरा नंबर 1677 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही अव्वल की कृषि भूमि जो प्रार्थीगण के पूर्वज नारायण पुत्र कानाराम जी जाति-कुम्हार के नाम की खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि रही है जिस भूमि को आगे आवेदन में सुविधा के लिए वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम- निम्बाज, तहसील-जैतारण जिला-पाली खसरा नंबर 1677 रकबा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

07 बीघा 13 बिस्वा भूमि नारायण पुत्र कानाराम जी जाति- कुम्हार के नाम की खातेदारी रही है लेकिन भु प्रबंधक विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने एक मिसल संख्या 3511/55-56 तारीख 26.06.1956 का उल्लेख करते हुए 06 बीघा भूमि नारायण पुत्र कानाराम जी के खाते से कम करके खसरा नंबर 1282 में मिला दिया जैसा कि खसरा बन्दोबस्त संवत 2005 से 2008 के अवलोकन से प्रथमदृष्टतया साबित है जिसे जोड़ने व मिलाने का अर्थात रकबा कम करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था इसलिये ऐसे अवैध एवं अनाधिकार इन्द्राज को निरस्त करना अर्थात रद्व घोषित करने के लिये वाद पत्र पेश कर रखा है इस तरह सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। निवेदित स्थगन आज्ञा का आवेदन प्रार्थीगण का स्वीकार नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण कानून को हाथ में लेकर अप्रार्थीगण नाजायज निर्माण करने पर तुले हुये है न तो उनके पास कोई इजाजत है न ही कानूनी तौर पर उनको कोई हक अधिकार है न ही प्रार्थीगण के पूर्वज या प्रार्थीगण ने इस जमीन को न तो विक्रय किया है, न ही वसीयत किया है और न ही इस भूमि को अप्रार्थीगण के पक्ष में सर्मपण ही की है। ऐसी सूरत में सेटलमेंट विभाइ इस भूमि को गैर मुमकिन आबादी में दर्ज नहीं कर सकते थे न ही पंचायत के पक्ष में समर्पित की है और इस तरह अवैध ढंग से इस भूमि को निर्माण करके प्रार्थीगण के हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है अगर निवेदित अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण अपने इरादों में सफल हो जायेंगे मौके पर स्थाई पक्का निर्माण कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अकथनीय व असहनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण के वाद करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा और प्रार्थीगण को ऐसे क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमावे तथा आवेदन में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 1677 जिसका कुल रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा था जिसमें से 06 बीघा भूमि ग्राम निम्बाज के खसरा नंबर 1282 में मिला दी है और उस भूमि की उदघोषणा हेतु प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में लेने के लिये दावा कर रखा है ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण इस जमीन पर किसी तरह का कोई स्थाई अर्थात पक्का निर्माण नहीं करे न ही वहा दिवार निकाले न ही मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन ही करें, अर्थात दावे के रोज के रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति रखेजाने का आदेश प्रदान करावे, न ही ऐसा अपकृत्य अप्रार्थीगण के नोकर, मजदूर, रिश्तेदार ही करे ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा आज ही प्रदान करावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 2/1/1, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 9/1/1, 14/1/1, 15/1, 16 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

दीगर अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के अनेकानेक अवसर देने के बाद भी जवाब पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 2/1/1, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 9/1/1, 14/1/1, 15/1, 16 ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब यह है कि सायलान का वाद पूर्व निर्णय, म्याद बाहर होने से व आउट ऑफ पजेशन के होने से काबिले खारिज के योग्य है, सायलान अपने द्वारा प्रस्तुत वाद में सफल नहीं होंगे तथा ना ही सायलान के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब यह है कि उक्त पद में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 1677 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा चाही अव्वल मौजा-निमाज, पटवार हल्का-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राजस्थान में स्थित है जिसके एक मात्र रिकॉर्ड खातेदार गैरसायलान ही है, न की सायलान है तथा यह भूमि कृषि भूमि नहीं होकर के आबादी भूमि थी और आज तक वर्तमान में भी आबादी भूमि ही है जो ग्रामवासी निमाज की पब्लिक के सार्वजनिक हित हेतु काम आती थी तथा उक्त भूमि पर सायलान का आज तक न तो कब्जा रहा है न ही खातेदार रहे हैं। इस विवादग्रस्त भूमि में सायलान का कोई लेना-देना नहीं हैं, उक्त वादग्रस्त भूमि में सायलान को कोई हक अधिकार व हित कानूनी दृष्टि से न तो कभी प्राप्त हुए थे और न ही वर्तमान में प्राप्त है ना ही भविष्य में प्राप्त हो सकते है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि ग्राम-निमाज तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. के खसरा नंबर 1677 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा भूमि नारायण पुत्र कानारामजी जाति-कुम्हार के नाम की खातेदारी भूमि नहीं रही है, बल्कि सायलान ने तत्कालीन पटवारी से मिलीभगत कर अपने नाम से करवाने की कोशिश की, जो कोशिश सायलान की असफल हुई। जबकि वास्तवकिता यह है कि भू-प्रबंधक विभाग के कर्मचारियों ने एक मिसल संख्या 3511/55-56 तारीख 26.06.1956 का उल्लेख करते हुए 06 बीघा भूमि नारायण पुत्र कानारामजी के खाते से कम करके खसरा नंबर 1282 में मिलाने का कथन एवं जोड़ने व मिलाने अर्थात रकबा कम करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है तथा सायलान द्वारा अवैध व अनाधिकार इन्द्राज को निरस्त करना अर्थात रदद घोषित करना न्यायसंगत होगा व जिसकी उदघोषणा हेतु उक्त प्रार्थना-पत्र सायलान द्वारा विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया गया जो आधारहीन, मनगढन्त व गलत आधारों पर पेश किया गया है, इसलिए प्रार्थना-पत्र का पद संख्या 02 आधारहीन, मनगढन्त व गलत आधारों पर होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि सायलान के पूर्वज नारायण व अन्य द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से पेड़-पौधे काट लिये थे, जिस पर ग्रामवासी निमाज ने ग्राम पंचायत कोर्ट, निमाज, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में एक प्रार्थना-पत्र सायलान के विरुद्ध पेश किया था, जिस पर पंचायत कोर्ट द्वारा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

सायलान के पूर्वजों नारायण व अन्य को उक्त खसरा की भूमि से दिनांक 24.06.1951 को हटने का आदेश दिया था तथा सायलान के पूर्वजों पर जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था तथा इस बाबत चुनपटिया नारायण को एक इत्तला दिनांक 04.07.1951 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की फोटोप्रतियां जवाबदावा के साथ पेश है। सायलान के पूर्वज नारायण के विरूद्व ग्राम पंचायत कोर्ट, निमाज तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. द्वारा कार्यवाही करते हुए जुर्माना राशि अदा करने का आदेश दिया गया था। जिसपर सायलान के पूर्वज नारायण व अन्य द्वारा ग्राम पंचायत कोर्ट, निमाज तहसील–जैतारण जिला–पाली में एक लिखित निवेदन स्वेच्छा से अपनी गलती मानते हुए दिनांक 02.08.1951 को माफीनामा लिखित में प्रस्तुत किया, जिसकी फोटोप्रति उक्त जवाबदावे के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 का जवाब है कि पद में वर्णित तमाम कथन, आधारहीन, मनगढन्त व असत्य होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर आज दिन तक गैरसायलान का ही कब्जा है। जिसका उपयोग ग्रामवासियों के लिए सार्वजनिक हित हेतु किया जा रहा है। उक्त भूमि ग्रामवासी निमाज के शौच जाने के काम आती थी तथा ग्राम निमाज का कचरा इसी भूमि में डाला जाता था। वर्तमान में उक्त विवादित भूमि में कोई शौच के लिए उपयोग नहीं करते है तथा ना ही उक्त विवादित भूमि पर कोई मवेशी बैठ्ते है, इस कारण से गैरसायल द्वारा वर्तमान में उक्त विवादित भूमि में सार्वजनिक हित के लिए सेवार्थ विद्यालय संचालित किया जा रहा है। ताकि उक्त भूमि पर गंदगी नहीं फैले और अन्य कोई अतिकमण नहीं कर सके, इसलिए सार्वजनिक हित हेतु उक्त भूमि को स्वच्छ व सुरक्षित रखने हेतु विद्यालय संचालित किया, जो सार्वजनिक हित में है उक्त विद्यालय प्रार्थना पत्र पेश होने के 4 साल पहले से संचालित हो रहा है तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पहले से ही पक्का निर्माण हो रखा है तथा नायब तहसीलदार, जैतारण द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में भी विद्यालय का संचालन होना बताया है जब नायब तहसीलदार जैतारण ने रिपोर्ट बनाई उस वक्त विद्यालय गर्मियों की छुट्टियों के कारण बन्द था, जमाबन्दी में 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि का होना सही है जो एएसओ केम्प निमाज के आदेश की पालना अनुसार खसरा संख्या 1677 की भूमि में से 06 बीघा भूमि कम तो कर दी गई, लेकिन आबादी भूमि के खसरा संख्या 1282 में अमल दरामद नहीं की गई, जो अमल दरामद राजकीय कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए था, जिस हेतु आज भी गैरसायलान श्रीमानजी के समक्ष निवेदन करते है कि उक्त 06 बीघा विवादित भूमि ए.एस.ओ कैम्प निमाज के आदेशानुसार खसरा नंबर 1282 में अमल दरामद की जावें ताकि आदेश की पालना हो सकें। ए.एस.ओ जैतारण केम्प निमाज का आदेश दिनांक 26.06.1956 की पालना अनुसार 10.09.1958 को गिरदावरी में मिसल संख्या 3511/1955-56 तारीख फैसला 26.06.1956 का रकबा 06 बीघा खसरा नंबर 1677 में से कमी की गई व

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

तरमीम की जाकर यह रकबा 06 बीघा खसरा संख्या 1282 में गैर मुमकिन आबादी में मिला दिया जाकर, लिहाज अमल दरामद की गई, जो पटवारी हल्का-निमाज द्वारा गिरदावरी में दर्ज है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि सायलान की नहीं होकर के ग्रामवासी निमाज यानि गैरसायलान की है तब से लेकर आज दिन तक सायलान आउट ऑफ पजेशन है यानि आज तक सायलान का कोई कब्जा नहीं है और पहले कभी भी कब्जा नहीं था और ना ही कभी सायलान के पूर्वजों नारायण व अन्य का था। ग्रामवासी निमाज द्वारा व पंचायत कोर्ट, निमाज द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर 15 अलग अलग जातियों के व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक हित हेतु सामूहिक पट्टे बनाये गये, ताकि कोई भी व्यक्ति उक्त विवादग्रस्त भूमि का बैचान , हस्तांतरण, बक्सीस, रहन व अतिक्रमण नहीं कर सके। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि ग्रामवासी निमाज के सार्वजनिक हितार्थ हेतु रखी गयी है। जो काम आ सकें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सालयान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उपरोक्त आधारों से काबिले खारिज के होने से मय हर्जा-खर्चा के खारिज फरमाने के आदेश फरमावें।

बहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। और उस पर मनन किया। हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णीत करना समुचित समझते हैं:-

1- प्रथमदृष्ट्या मामला :- प्रार्थीगण द्वारा ग्राम-निमाज, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 1677 के बंदोबस्त पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज नारायण पुत्र कानाराम के खातेदारी में दर्ज रकबा 7-13 बीघा किस्म चाही-प्रथम जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-76 में 1-13 बीघा दर्ज है, उक्त शेष 06 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी का बंदोबस्त पूर्व मूल रकबा 7-13 बीघा था लेकिन भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मिसल संख्या 3511/55-56 दिनांक 26.06.1956 का उल्लेख करते हुए खातेदार नारायण पुत्र कानाराम के खाते से 06 बीघा भूमि कम करते हुए खसरा संख्या 1282 में मिला दिया गया। जिसका भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी यह कथन किया है कि मिसल संख्या 3511/55-56 दिनांक 26.06.1956 एएसओ द्वारा निर्णय करते हुए वादग्रस्त आराजी के रकबा 7-13 बीघा में से 06 बीघा भूमि को आबादी में मिला दिया गया, जो कि सही था। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत कोर्ट, निमाज द्वारा सायलान के

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

पूर्वजों नारायण अन्य खसरे की भूमि से दिनांक 24.06.1951 को हटने का आदेश दिया था।

पर्चा खतौनी ग्राम-निमाज पट्टा ठिकाना-निमाज संवत 2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नारायण वल्द काना कौम कुम्हार खसरा संख्या 1677 जिसका रकबा 7-13 बीघा में बतौर काश्तकार दर्ज है। हालांकि यह साक्ष्य का विषय हैं परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के कथनों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का भू-प्रबन्ध से पूर्व मूल रकबा 7-13 बीघा था तथा जिसे भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान एएसओ जैतारण द्वारा 06 बीघा कम करते हुए इसे खसरा संख्या 1282 की आबादी भूमि में मिलाया गया। एएसओ की यह कार्यवाही विधिसंगत थी या नहीं, यह साक्ष्य एवं मूल वाद के निर्णयन का विषय है परन्तु प्रथमदृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

2- सुविधा का संतुलन :- वादग्रस्त आराजी के संबंध में श्रीमान जिला कलक्टर पाली को पंचायत निगरानी 28/2018 अनवान नारायण के कायम मुकाम बनाम ग्राम पंचायत निमाज के प्रकरण में जो कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी है के संबंध में पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक निमाज द्वारा दिनांक 29.05.2018 को तैयार एवं प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर तारबंदी कर टिनशेड डाले हुए है तथा शेष भूमि खाली पड़ी है।

श्रीमान जिला कलक्टर, पाली द्वारा पंचायत निगरानी 28/2018 के निर्णय दिनांक 04.02.2019 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर ग्राम पंचायत निमाज द्वारा दिनांक 21.04.1968 को जारी पट्टा संख्या 36 को अपास्त किया जा चुका है। उक्त प्रकरण के अप्रार्थीगण, हस्तगत प्रकरण के भी अप्रार्थीगण है।

प्रार्थी ढगलाराम द्वारा दिनांक 25.02.2019 को उपखण्ड अधिकारी, जैतारण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश हो रखे है इसके बावजूद अप्रार्थीगण सोहनलाल, शरदकुमार, मुन्नालाल तथा अन्य लोगों द्वारा उक्त स्थगन आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौका स्थिति को परिवर्तन किये जाने का पर्याप्त कारण उपस्थित है, तथा प्रकरण के समुचित न्याय निर्णयन एवं अनावश्यक जटिलताओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए हम यह आवश्यक समझते हैं कि ताफैसला वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौका स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाए। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में भलीभांति सिद्ध होता है।

3- अपूरणीय क्षति :- पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है तथा वादग्रस्त आराजी के संबंध

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

में जिला कलक्टर, पाली द्वारा ग्राम पंचायत निमाज द्वारा जारी पट्टे जो कि अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी थे, को अपास्त घोषित किया जा चुका है तथा पूर्व विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाना संभावित है तथा यदि ऐसा किया जाता है तो वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी, जिसका सर्वप्रथम प्रभाव प्रार्थीगण पर होना निश्चित है, इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्षति कारित करने, मौका स्थिति में परिवर्तन करने तथा रिकार्ड में परिवर्तन किये जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दु बहक प्रार्थीगण साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में मूल वाद के निर्णयन तक वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं किए जाने बाबत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, एवं सपठित आदेश–39, नियम– 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सारवान होने एवं भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम–निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 1677 मूल रकबा 7–13 बीघा जिसमें से 06 बीघा भूमि खसरा संख्या 1282 में शामिल की गई थी, के संबंध में ताफैसला वाद वर्तमान भू–अभिलेखीय एवं मौका स्थिति में कोई परिवर्तन न करें। न ही ऐसा अपने किसी प्रतिनिधि या नौकर द्वारा करावें। किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण, मरम्मत, प्लाटिंग, तारबंदी, चारदीवारी, आदि नहीं करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 03/03/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.13 13:25:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: